

साक्षात्कार सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक MGAHV/01/2020 दिनांक 17.02.2020 के आलोक में पद क्रमांक- 03 (प्रोफेसर – अनारक्षित) के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु दिनांक 03.11.2020 को अपराह्न 04:00 बजे से ऑनलाइन/ऑफलाइन (वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिसर) आमंत्रित किया जाता है।

क्रम	BMR	नाम (डॉ./श्री/सुश्री)
1	BMR231	अशोक कुमार
2	BMR342	चर्तुभुज नाथ तिवारी
3	BMR286	प्रशांत मिश्रा

साक्षात्कार संबंधी निर्देश :

1. सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार-पत्र केवल उनके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित ई-मेल पर प्रेषित किये जाएंगे।
2. अभ्यर्थी साक्षात्कार में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन किसी भी रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
3. साक्षात्कार में ऑनलाइन सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अबाधित इंटरनेट व्यवस्था एवं उपयुक्त उपकरण (Device) स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। इंटरनेट संबंधी अथवा अन्य तकनीकी बाधा उत्पन्न होने एवं साक्षात्कार प्रभावित होने के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
4. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले ऑनलाइन अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंकित अपने ई-मेल में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे साक्षात्कार तिथि एवं समय से 48 घंटे पूर्व ई-मेल ar.est.mgahv@gmail.com पर "साक्षात्कार हेतु ई-मेल -----" दर्ज कर प्रेषित कर दें। यह ई-मेल आईडी उनके स्वयं के नाम से होना अनिवार्य है। ई-मेल के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन साक्षात्कार की सुविधा नहीं है।
5. ऑफलाइन सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 जनित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को विशेषज्ञताओं/शैक्षणिक एवं शोध-अनुभवों/वांछनीय अर्हताओं संबंधी अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति (Scanned Copy) साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय से 48 घंटे पूर्व ई-मेल ar.est.mgahv@gmail.com पर प्रेषित करनी होगी।
7. किसी भी दस्तावेज अथवा दावे की वैधता को प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।
8. दिनांक 26.10.2020 को सुबह 11:00 बजे तक केवल ई-मेल ar.est.mgahv@gmail.com पर अभ्यर्थियों की प्राप्त आपत्तियों का, यदि कोई हैं तो, निराकरण किया जाएगा। उसके बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार करना संभव नहीं होगा।

(कुलसचिव)